संख्या- 11/2022/ई.आ.622/46-2099/159/2022

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2022**

विषय- **उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की 24 सहकारी चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2022-23 में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उ.प्र. सहकारी बैंक लि. एवं जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) की व्यवस्था हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान करने एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क को माफ किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:2676 यू.पी.एफ./जी-87/यू.पी.सी.बी./2022-2023, दिनांक 18.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2022 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में 24 सहकारी चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2022-2023 में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उ.प्र. सहकारी बैंक लि. एवं जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) रू. 3697.00 करोड (रूपये तीन हजार छः सौ सत्तान्नबे करोड़ मात्र) की व्यवस्था हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान करने एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय शुल्क को माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी हेतु देय विधीक्षण शुल्क का भुगतान करते हुए ट्रेजरी चालान/रसीद सहित शासकीय गारण्टी एवं काउण्टर गारण्टी हेतु विलेख तायार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

संख्या- 11/2022/ई.आ.622(1)/46-2099/159/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक(अग्रणी बैंक) 2-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2- सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, मेरठ (अग्रणी बैंक), मुजफ्फरनगर (अग्रणी बैंक), लखीमपुर खीरी (अग्रणी बैंक), रामपुर (अग्रणी बैंक), मुरादाबाद (अग्रणी बैंक) एवं बिजनौर (अग्रणी बैंक) ।

3- प्रधान प्रबन्धक (वित्त), उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ.प्र.कोआपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउण्टर गारण्टी के प्रारूप भी विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जगराम यादव)
अनु सचिव।